न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 50/2022

उनवान

1. शैतान पुत्र स्व0 सोनाराम जाति गुर्जर निवासी मामटोरी खुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 बोदीलाल पुत्र साधूराम
3 भूरा पुत्र साधू
4 रामकरण पुत्र साधू
5 सुरज्ञान पुत्र साधू
6 प्रेमदेपवी पत्नि दूलाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी मामटोरी खुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

7 मैसर्स बालाजी स्टोन केशर जरिये प्रो0/पार्टनर हरिओम सिंह पुत्र भागमल सिंह जाति राजपूत निवासी कुंवरपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर । **तरतीबी अप्रार्थी**

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 21-11-2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 859 रकबा 0.13 है0, 860 रकबा 0.55 है0, 861 रकबा 0.01 है0, 862 रकबा 0.38 है0, 863 रकबा 0.16 है0, 864 रकबा 0.64 है0, 865 रकबा 0.23 है0, 866 रकबा 0.15 है0, 867 रकबा 0.18 है0, 903/2 रकबा 0.11 है0, 832 रकबा 0.26 है0, 927 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम मामटोरीखुर्द तहसील शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, आराजी ख0नं0 859 से 867, 903/2, 832, 927 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिस पर प्र्ार्थी कब्जा काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी कास्तकार आये दिन चारो ओर से दबाते रहते है जिससे प्रार्थी का पडौसिंया से लडाई झगडा होता रहता है। प्रार्थी ने अपनी भूमि का उप तहसीलदार मनोहरपुर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/ 68 दिनांक 3.6.2022 की पालना में दिनांक 16.6.2022 को मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 16.6.2022 के मुताबिक स्थाई सीमाकंन हेतु पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गयां । तरतीबी अप्रार्थी सं0 7 ने प्रकरण में प्रार्थना प अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिस पर विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 1.8.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की गई ।

अप्रार्थीगण सं0 2 से 6 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकन विवाद है । रास्ते के मध्य बिन्दू से 10 फीट प्रार्थी की भूमि तथा 10 फीट अप्रार्थी की भूमि लेकर रास्ता बनाया गया था जिसे प्रार्थी अपने मकान के पीछे 10 फीट जगह में अतिकमण कर लिया एवं अब 10 फीट अप्रार्थीगण की भूमि में से लेना चाहते है। दिनांक 16.6.2022 को सीमाज्ञान भी अप्रार्थीगणो को बिना सूचना दिये फर्द सीमाज्ञान तैयार की गई है इसलिए पुनः सीमाज्ञान करवाया जावे ।तरतीबी अप्रार्थी सं0 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि अप्रार्थी सं0 7 की स्टोन केशन मशीन लगा रखी है जिसका रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी 2 से 6 के मध्य में से जाता है जिसे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दबाते रहते है इयलिए रास्ते की नाप कर पत्थरगढी की जावे । अन्त में अप्रार्थी सं0 7 ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा अन्य काश्तकार रास्ते की सीमा को तोडकर अतिकमण करते रहते हैं इसलिए रास्ते की भूमि ख0नं0 725, 727/1, 729, 730/1, 735/1,725, 727/1, 729, 730/1, 735/1, 736/1, 737/3, 739/1255, 742/1, 761/3, 776, 778/1, 785/1 789/1, 791/1, 792/1, 793/1, 794/1, 828/1, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 853/1, 854/1, 856/1, 859/1, 862/1, 863/1, 864/1, 874/1, 875/1, 876/1, 877/1, 878/1, 879/1, 881/1, 882/1, 883/1, 885/1, 887/1, 888/1, 899/2, 907/1, 908/1, 947/1, 948/1, 969/3, 970/3, 998/1 जो गै0मु0 रास्ता है को नापकर पत्थरगढी की जावे । प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 1.6.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी श्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना त्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने याब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि मुख्य विवाद रास्ते को लेकर है जो नो पक्षो की मौजूदगी में पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 16.6.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, पटवारी ल्का नवलपुरा, मनोहरपुर व उदावाला के द्वारा मौतविरान की मौजूदगी में सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक ातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि नावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से रक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। साथ ही आम रास्ते की भूमि को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अतिकमण र रास्ते को अवरूद्व कर रहे है का भी नियमानुसार सीमाज्ञान/पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 859 रकबा 0.13 है0, 860 बा 0.55 है0, 861 रकबा 0.01 है0, 862 रकबा 0.38 है0, 863 रकबा 0.16 है0, 864 रकबा 0.64 है0, 65 रकबा 0.23 है0, 866 रकबा 0.15 है0, 867 रकबा 0.18 है0, 903/2 रकबा 0.11 है0, 832 रकबा 0.26 0, 927 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम मामटोरीखुर्द तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते ए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 16.6.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे था राजकीय रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 725, 727/1, 729, 730/1, 735/1,725, 727/1, 729, 30/1, 735/1, 736/1, 737/3, 739/1255, 742/1, 761/3, 776, 778/1, 785/1 789/1, 91/1, 792/1, 793/1, 794/1, 828/1, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 853/1, 54/1, 856/1, 859/1, 862/1, 863/1, 864/1, 874/1, 875/1, 876/1, 877/1, 878/1, 79/1, 881/1, 882/1, 883/1, 885/1, 887/1, 888/1, 899/2, 907/1, 908/1, 947/1, 48/1, 969/3, 970/3, 998/1 वाके ग्राम मामटोरीखुर्द तहसील शाहपुरा का भी नियमानुसार सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर